


## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2016/1337

दिनांक:-15/3/16

### कार्यालय आदेश


संचालक मण्डल की 227वीं बैठक दिनांक 28.09.15 में सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 17.06.15 के निर्णय बिन्दु संख्या 13 के अनुसार मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित के व्यावसायिक एवं प्लिंथ स्तर के आवासीय भूखण्ड/स्केलटन आवासो के आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर अवधि बढ़ाने बाबत जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/768 दिनांक 12.08.2013 में आशिक संशोधन करते हुये ऐसे प्रकरणों को संचालक मण्डल बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने के स्थान पर मण्डल अध्यक्ष को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है। ऐसे सभी प्रकरण जिनमें आवंटन के पश्चात आज तक समयावधि में निर्माण नहीं किया गया है, उन सभी प्रकरणों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया जावे एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

  
अध्यक्ष

### प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय (मु0)/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर
4. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., रा0आ0म0 .....
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर
10. रक्षित पत्रावली।

92/2/2016

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक